ग्राम स्तरीय कमेटी

महिला एवं पंचायत सशक्तिकरण

तथा जन समुदाय भागीदारी की ओर

एक प्रयास

महिला एवं बाल विकास निदेशालय हरियाणा

ग्राम स्तरीय कमेटी (Village Level Committee)

(VLC)

1. **ग्राम स्तरीय कमेटी (VLC) क्या है ?**

- हरियाणा सरकार द्वारा बच्चों एवं महिलाओं के विकास के लिये और उनसे संबधित कार्यक्रमों को लागू करने में महिलाओं की भूमिका सुनिश्चित करने के लिए हर ***गाँव में चुँनिदा महिलाओं की एक कमेटी बनाई गई है, जिसे ग्राम स्तरीय कमेटी व छोटे रूप से VLC का नाम दिया गया है ।***

- हरियाणा पंचायती राज एक्ट 1994 के सैक्शन 22 के अंतर्गत इस कमेटी को ग्राम पंचायत की उप समिति घोषित किया गया है ।

- यह कमेटी ग्राम पंचायत को दिये गये महिला एवं बाल विकास से संबंधित सभी कार्यो को ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में करेगी।

2. **VLC के सदस्य कौन होंगे ?**

- गाँव की *महिला सरपंच, सभी महिला पंच, महिला अध्यापिका, मल्टी परपज हैल्थ वर्कर, महिला मण्डल की प्रधान, गाँव में सभी स्वयं सहायता समूह की अध्यक्ष या प्रधान, सभी आशा, शहीदों की विधवाएँ, साक्षर महिला समूह की प्रधान व समूह की तीन सबसे ज्यादा पढ़ी–लिखी किशोरियां, गैर–सरकारी संस्थाओं के अध्यक्ष, गॉव का चौकीदार तथा सभी आंगनवाड़ी वर्कर* इसके सदस्य होंगे। तीन किशोरियों में से एक SC होनी चाहिए। यदि साक्षर महिला समूह में कोई भी किशोरी SC नहीं है तो तीन के अलावा एक गाँव की सबसे ज्यादा पढ़ी हुई SC किशोरी को सदस्य बनाया जायेगा। यदि शहीद की विधवा नहीं है तो फौजी की विधवा, यदि फौजी की विधवा भी नहीं है तो सबसे ज्यादा पढ़ी–लिखी अन्य कोई एक विधवा को सदस्य बनाया जाएगा।

3. यदि गाँव में सरपंच पुरूष है, तो क्या वह इसका सदस्य बन सकता है?

- नहीं । इस कमेटी में गाँव के *चौकीदार के अलावा बाकी सभी सदस्य महिलायें होंगी ।*

4. VLC की अध्यक्षता कौन करेगा ।

- *सरपंच यदि पुरुष है तो ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत की गई महिला पंच* इस समिति की प्रधान होगी तथा गाँव की एक मनोनीत आंगनवाड़ी वर्कर इसकी संयोजिका होगी।

5. VLC क्यों आवश्यक है ।

- ग्राम पंचायतें ग्रामीण विकास के अनेक मुद्धों के लिये कार्य करती है, जिनमें से महिला एवं बाल विकास एक महत्वपूर्ण विषय है । अपने कार्यो की विविधता के कारण ग्राम पंचायतों द्वारा *महिलाओं एवं बच्चों के विकास की दिशा में किये गये कार्यो से अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका ।* इसलिये इन कार्यों के लिये

ग्राम पंचायत की उपसमिति (VLC) का गठन किया गया । चूंकि ***इस समिति की सभी सदस्य महिलायें है तो वह महिला एवं बच्चों की जरूरतों को बेहतर समझते हुये इस दिशा में अधिक प्रभावी रूप से कार्य करेगी ।***

- ***इसके अतिरिक्त पंचायती राज एक्ट के तहत पंचायतों द्वारा विकास के कार्यों की समीक्षा की जानी है। यह कमेटी पंचायत की उपसमिति के रुप में महिला एवं बाल विकास संबंधी सभी कार्यों की समीक्षा व निरीक्षण करेगी।***

6. **VLC के क्या कार्य है ?**

- यह कमेटी गाँव में महिलाओं एवं बच्चों के विकास के लिये कार्य करेगी । जैसे आंगनवाड़ी केन्द्रों के माध्यम से गॉव की प्रत्येक ***गर्भवती माता तथा बच्चे का स्वास्थ्य, पोषण, टीकाकरण, गम्भीर बीमारी की पहचान व स्वास्थ्य की भी जानकारी देने के लिये जरूरी कदम उठायेगी ।***

- कमेटी स्वयं सहायता समूहों, महिला मण्डलों या बच्चों की माताओं के समूहों द्वारा गॉव के ***आंगनवाड़ी केन्द्रों में आने वाले बच्चों के लिये खाने की वस्तुएँ तैयार करवायेगी । इस कार्य में कमेटी के मार्गदर्शन के लिए विभाग द्वारा हर आंगनवाड़ी वर्कर को ''सस्ते एवं पौष्टिक व्यंजन'' नाम से एक पुस्तिका दी गई है ।*** कमेटी यह सुनिश्चित करेगी कि ***बच्चों को उनकी माताओं की निगरानी में ही आहार बॉटा जाये तथा माताओं के विचार और सुझाव 'मॉ की राय' नामक रजिस्टर में दर्ज करवायेगी ।***

- कमेटी द्वारा गॉव के ***6 वर्ष तक के हर बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण के बारे में ब्यौरा रखा जायेगा,*** जिसके लिये विभाग द्वारा Child Tracking नामक रजिस्टर छपवाकर कमेटी को दिए गए हैं ।

- इसके साथ ही यह कमेटी अपने गॉव में ***सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज प्रथा, बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा व महिलाओं के प्रति अपराध इत्यादि*** के निवारण के लिये बैठकों में चर्चा करेगी।

- कमेटी विभाग की विभिन्न योजनाओं जैसे ***लाडली, किशोरी शक्ति योजना, सर्वोत्तम माताओं को पुरस्कार, पढ़ाई में अव्वल आने वाली महिलाओं को पुरस्कार आदि*** से संबंधित योग्य उम्मीद्वारों के नाम विभाग को भेजेगी ।

7. VLC का संचालन कैसे होगा ?

- ***कमेटी नजदीकी बैंक में अपना खाता खुलवायेगी ।*** कमेटी की प्रधान, कमेटी द्वारा अधिकृत ***एक महिला पंच तथा एक आंगनवाड़ी वर्कर जोकि कन्वीनर भी है बैंक खाते से पैसा निकाल सकेंगी । खाते से पैसा निकालने के लिये कन्वीनर के अलावा शेष दो खातेदारों में से किस एक का हस्ताक्षर अनिवार्य होगा ।***

- कमेटी द्वारा किये गए ***खर्च का पूरा लेखा–जोखा कमेटी की हर महीने होने वाली मीटिंग में प्रस्तुत तथा पास किया जायेगा ।***

- VLC महीने में ***एक बार निश्चित तिथि व समय पर मीटिंग करेगी ।***

- VLC की गतिविधियों का सारा रिकार्ड व लेखा जोखा ग्राम सभा की साल में होने वाली तीनो मीटिंगों में प्रस्तुत किया जायेगा ।

8. VLC को विभाग की तरफ से क्या वित्तिय सहायता दी जाएगी ?

- कमेटी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने हेतु सरकार द्वारा समिति को ***5000/– रुपये से 10000/– रुपये तक सालाना दिया जायेगा*** ताकि वह

मीटिंग के लिए छुट–पुट तथा सामाजिक बुराईयों को रोकने के प्रचार आदि पर खर्चा कर सके ।

- विभाग द्वारा VLC के खाते में पूरक पोषाहार कार्यक्रम पर खर्च होने वाली राशि में से गाँव में आँगनवाड़ी केन्द्रों व लाभ पात्रों के आधार पर तीन मास की अग्रिम राशि डाली जाएगी तथा इसी प्रकार कमेटी SHG को राशन बनाने हेतू एक मास की अग्रिम राशि उनके खाते में डलवाएगी व इसका पूरा लेखा–जोखा रखेगी।

9. VLC को दी गई वित्तीय शक्तियां ?

- भविष्य में विभाग द्वारा कमेटी के बैंक खाते में ***आंगनवाड़ी वर्कर तथा हैल्पर के मानदेय का भुगतान*** करने के लिये हर महीने राशि जमा कराई जायेगी । मानदेय का भुगतान कमेटी द्वारा विभाग की हिदायतों के मुताबिक किया जायेगा।

- ***आंगनड़वाडी वर्कर तथा हैल्पर की नियुक्ति में*** VLC ***की सिफारिश*** (विभागीय हिदायतों के अनुसार) ली जाएगी।

- VLC आँगनवाड़ी के कार्यों की समीक्षा करेगी तथा महिला एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे कार्यक्रमों की देखरेख भी करेगा।

10. समिति के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिये सरकार द्वारा हर समिति को कम से कम 5000/– रूपये वार्षिक दिया जायेगा जिसे वह निम्न प्रकार से खर्च करेगी ।

- ग्राम स्तरीय कमेटी महीने में एक बार निश्चित तिथि व समय पर मीटिंग करेगी । कमेटी हर महीने होने वाली ***मीटिंग के फुटकर खर्चे के लिये 100/–रू॰ तक प्रतिमाह*** के हिसाब से खर्च कर सकती है ।

- रिकार्ड इत्यादि रखने के लिए कमेटी को रजिस्टर, पैन व अन्य Stationary Item जिसकी आवश्यकता है, पर कमेटी सलाना 1200/– रु0 तक खर्च कर सकती है।

- कमेटी की किसी भी पढ़ी–लिखी सदस्या या आंगनवाड़ी वर्कर द्वारा कमेटी के रिकार्ड का लेखा–जोखा बनवाया जायेगा । ***रिकार्ड बनाने वाले को अधिकतम 50/–रू॰ मासिक मेहनताना*** दिया जायेगा ।

- बाकी राशि ***महिलाओं और बच्चों के विकास से जुड़े मुद्दों पर चेतना जागृत करने के लिये*** खर्च किये जा सकते हैं जैसेः– पोषाहार शिक्षा, अनेक प्रकार की प्रतियोगिताएँ, क्विज, रैस्पी प्रतियोगिताओं के पुरस्कार आदि के लिये इस्तेमाल किया जा सकता है । यह गतिविधियां कमेटी SMS के माध्यम से करवाएगी। इसके अतिरिक्त बैंक अकांउट operate करने के लिए गॉव से बाहर जाने पर लगने वाला बस का किराया खर्च किया जा सकता है परन्तु यह सुनिश्चित किया जाये कि यह यात्रा वर्ष में 12 बार से अधिक न हो ।

11. VLC और साक्षर महिला समूह (SMS) मिलकर किस तरह गाँव में महिलाओं एवं बच्चो के विकास के लिए कार्य कर सकते हैं ।

- चूंकि VLC और SMS के गठन का एक ही उद्देश्य है कि गाँव में महिलाओं और बच्चों का सम्पूर्ण विकास हो । अगर ये दोनो मिलकर कार्य करें तो हरियाणा सरकार का यह प्रयास सार्थक सिद्ध होगा । साक्षर महिला समूह ग्राम स्तरीय कमेटी के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने में निम्न प्रकार से मदद करेंगेः–

- SMS आंगनवाड़ियों के कार्यों जैसे पूरक पोषाहार बनाना व वितरित करना, बच्चों व महिलाओं का स्वास्थ्य व टीकाकरण, बच्चों की

पूर्व–प्रारम्भिक शिक्षा इत्यादि के संचालन में ग्राम स्तरीय कमेटी का सहयोग करेंगे ।

- साक्षर महिला समूह VLC को प्रेरित करेंगे कि वह मीटिंगों में सामाजिक बुराईयों जैसे दहेज–प्रथा, बाल–विवाह, कन्या भ्रूण हत्या व घरेलू हिंसा इत्यादि के बारे में चर्चा करें व समूह इन बुराईयों के निवारण के लिये उचित कदम उठायेंगे ।

- समूह सुनिश्चित करेंगे कि ग्राम–स्तरीय कमेटी गॉव के 6 वर्ष तक के हर बच्चे के स्वास्थ्य एवं पोषण का रिकार्ड रखे व बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य में सुधार हेतु उचित कदम उठाये ।

12. क्या ग्राम स्तरीय सब कमेटी द्वारा किये जाने वाले खर्चों का ऑडिट होगा ?

हॉ, ग्राम स्तरीय सब कमेटी को विभाग द्वारा दी गई राशि का पूर्ण लेखा–जोखा रखना होगा एवं उस राशि को विभाग की हिदायतों अनुसार ही खर्च करना होगा तथा सरकारी नियमानुसार इसका ऑडिट भी होगा।